निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 182/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. गौरी शंकर पुत्र श्री गुलाब चन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम कीरतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
2. तेजाराम उर्फ तेजराम पुत्र श्री गुलाब चन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम कीरतपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

कम–1 व 2 मुख्तयार आम श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व॰ श्री जुगल किशोर गोयल जाति महाजन निवासी ए–102, रायल एनक्लेव, विद्याधर नगर, जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1 श्री प्रियवृत चारण आर॰ए॰एस॰ पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, जिला जयपुर ।
3 क्षेत्रीय वन अधिकारी आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
4 हरिशंकर पुत्र श्री गुलाचन्द जाति गुर्जर निवासी कीरतपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 75/2022 व ब उनवानी गौरी शंकर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री मोहित महावर अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री कृष्ण कुमार पारीक अधिवक्ता 4 की ओर से ।

निर्णय **दिनांक 26.08.2022**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रकरण संख्या 75/2022 ब उनवानी गौरी शंकर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार पारीक ने उपस्थित हो कर वकालतनामा पेश किया।
3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 12.08.2022 को रेस्पोडेन्ट के नोटिस तामील हो कर न्यायालय के समक्ष पेश हुये

जिला कलक्टर
जयपुर

जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से उसके मातहत कर्मचारी उपस्थित हुये जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करने हेतु निवेदन किया गया, तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया व प्रकरण में तारीख देने से मना कर दिया तथा अधिवक्ता को यह कहा कि उक्त प्रकरण में चार पांच दिन बाद आकर तारीख पेशी नोट कर लेना । चार पांच दिन पश्चात उक्त तारीख पेशी के सम्बन्ध में न्यायालय के रीडर से जानकारी की तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण की पत्रावली रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पास रखी हुई है एवं उनके द्वारा कोई तारीख पेशी नियत नहीं की गई है। जिस पर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष उपस्थित हुये तो उनके द्वारा यह कहा गया कि उक्त प्रकरण पूर्व से ही मेरी जानकारी में है तथा उक्त प्रकरण को मै आज ही खारिज करूंगा। जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा यह अवगत कराया गया कि प्रकरण में पूर्व में पारित आदेश की पत्रावली संलग्न नहीं है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही नहीं की गई है फिर भी प्रकरण में बहस सुनना चाहे तो दो तीन दिन का समय प्रदान किया जावे ताकि प्रकरण में बहस की जा सके, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया और प्रकरण को खारिज करने हेतु कहा जिस पर अधिक्ता प्रार्थी द्वारा काफी अनुनय विनय करने पर दिनांक 02.09.2022 की तारीख पेशी नियत की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त कृत्य से प्रार्थी व उसके अधिवक्ता आशंकित हो गये तथा रेस्पोडन्ट संख्या 1 की भावना का पूर्व में ही पता चल गया ऐसी सूरत में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से प्रार्थीगण को किसी प्रकार की न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। उचित न्याय हेतु प्रकरण की पत्रावली को अन्यत्र न्यायालय में सुनवाई हेतु अन्तरित की जाना आवश्यक है, ताकि प्रार्थीगण को न्याय मिल सके। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 4 के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थीगण ने झूंठे तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूंकि प्रार्थीगण ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। इसलिए इस प्रकरण को न्याय हित में सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है ,तो कोई आपत्ति नहीं है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी आमेर के पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने पर शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय का न्यायालय भी स्थापित है जिसमें इस प्रकरण को अन्तरण किया जा सकता है । इससे पक्षकारान को भी असुविधा नहीं होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

8. उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 75/2022 व उनवानी गौरी शंकर बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 14.09.2022 को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में उपस्थित हो।
9. सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणावगुण व मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
10. निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी आमेर व सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।
11. निर्णय आज दिनांक 26.08.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर